उत्तर प्रदेश शासन

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,

समाज कल्याण विभाग,

संख्या-20/860/क0नि0प्र0/26-3-2021-18(109)/2018

लखनऊ दिनांक: 04 अक्टूबर, 2021

शुद्धि पत्र

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) के अन्तर्गत चयनित 404 ग्रामों में गैप फिलिंग एक्टीविटी हेतु रू0 8080.00 लाख (रू. अस्सी करोड़ अस्सी लाख मात्र) की स्वीकृति शासनादेश सं0- 19/2021/903/क0नि0प्र0/26-3-2021-18(109)/2018 दिनांक 29-09-2021 द्वारा निर्गत की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में उल्लिखित शर्तो के क्रमांक-11 पर अंकित शर्त में **'कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा, त्रुटिवश अंकित हो गया है।** उक्त के स्थान पर कार्यदायी संस्था को प्रश्नगत कार्यो हेतु सेन्टेज चार्ज देय नही होगा, पढ़ा जाय।

3- शासनादेश दिनांक 29-09-2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

राज रतन

संयुक्त सचिव

पृ0संख्या-20/2021/860(1)/क.नि.प्र./26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

5- प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।

6- मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको), टी.सी.46-5 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0 शासन।

8- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज रतन

संयुक्त सचिव।